आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद सं0-37/2013

सुखदेव राम

बनाम्

रामाशन सिंह

26.04.2024

आदेश

प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 6304/2007 राम आशन सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक 25.02.2013 को पारित आदेश के पश्चात इस स्तर पर दायर किया गया है:-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

".....On Call, none appeared on behalf of the petitioner either to press the petition or to make a prayer for adjournment. Learned A.C to Additional Advocate General No. 5 is present.

The writ petition stands dismissed due to non prosecution."

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि आवेदक श्री सुखदेव राम के पिता स्व0 अनेश राम द्वारा अंचलाधिकारी, वैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज के समक्ष ग्राम-चमनपुरा, थाना-वैकुण्ठपुर के प्लॉट सं0-3141, खाता सं0-1729 पर कायम जमाबंदी सं0-1626 में सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी, वैकुण्ठपुर द्वारा जमाबन्दी वाद अभिलेख सं0-01/06-07 दर्ज कर मामले की सुनवाई की गयी तथा दिनांक 01.09.2006 को आदेश पारित किया गया। अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर विपक्षी राम आशन सिंह द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष जमाबंदी सुधार अपीलवाद सं0-03/07 दायर किया गया तथा इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष C.W.J.C No. 6304/2007 भी दायर कर दिया गया। उक्त वाद की सुनवाई के पश्चात समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा दिनांक 12.10.2012 को पारित आदेश में अंचल अधिकारी, वैकुण्ठपुर के आदेश को निरस्त किया गया तथा अपीलवाद को स्वीकृत किया गया। इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No. 6304/2007 में दिनांक 25.02.2013 को आदेश पारित किया गया है। जिसके पश्चात आवेदक सुखदेव राम द्वारा इस स्तर पर प्रस्तुत वाद दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता - उपस्थित।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता - अनुपस्थित।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता - उपस्थित।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रश्नगत

खाता सं0–172, सर्वे सं0 3141, रकबा 11 कट्ठा 11धूर जमीन के खतियानी रैयत शिवदत्त सिंह थे, जिसके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र वासगीत सिंह प्रश्नगत भूमि के उत्तराधिकारी हुए। वासगीत सिंह के भूमि में से 2 कट्ठा 16 धूर जमीन वासगीत पर्चा द्वारा आवेदक के पिता स्व0 अनेश राम को प्राप्त हुआ। शेष 8 कट्ठा 15 धूर जमीन भी आवेदक के पिता ही जोतते–बोते थे। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि आवेदक के पिता द्वारा अंचलाधिकारी, बैकुण्ठपुर के समक्ष इस आश्य का आवेदन दिया गया कि गाँव–चमनपुरा, थाना–बैकुण्ठपुर, जिला–गोपालगंज के प्लॉट सं0 3141, खाता सं0 1729 पर उनका दखल–कब्जा है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर कायम जमाबन्दी सं0 1626 में उनके पक्ष में सुधार किया जाय। उक्त आवेदन के आलोक में अंचलाधिकारी, बैकुण्ठपुर द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से उक्त के संबंध में प्रतिवेदन की मॉग की गयी। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा स्थल जॉचोपरांत प्रतिवेदित किया गया कि सर्वे सं0 3141 के सम्पूर्ण रकबा पर आवेदक के पिता स्व0 अनेश राम का दखल–कब्जा है साथ ही उनके द्वारा जमाबंदी सं0 1626 में सुधार हेतु अनुशंसा किया गया। इस क्रम में अंचलाधिकारी, बैकुण्ठपुर द्वारा साक्ष्यों एवं अभिलेख के आधार पर जमाबन्दी अपील सं0 01/2006–07 में दिनांक 01.09.2006 को आवेदक के आवेदन को स्वीकृत किया गया। अंचलाधिकारी, बैकुण्ठपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष जमाबंदी अपील सं0 03/2007 दायर किया गया, परन्तु समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक बैकुण्ठपुर के स्थलीय जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा पर विचार नहीं करते हुए आदेश पारित किया गया है। इस क्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा इस पर भी विचार नहीं किया गया है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि पर विगत कई वर्षो से रहते आ रहे है, जिसके आधार पर उन्हें प्रश्नगत भूमि पर 'Occupancy Right' भी प्राप्त है। इसके अलावे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोर दिया गया कि "Bihar Land Mutation Act, 2011" की धारा 9 के अनुसार जमाबंदी रद्द करने का अधिकार संबंधित अपर समाहर्त्ता को प्राप्त है न कि समाहर्त्ता को।

उक्त के आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

4. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित है। उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित पक्ष का अवलोकन किया। विपक्षी का लिखित पक्ष है कि प्रश्नगत रकबा 6 कट्ठा 5 धूर पर मूलतः विवाद है, जबकि खाता सं0–172, प्लॉट सं0–3141 का कुल रकबा 11 कट्ठा 11 धूर है। प्रश्नगत रकबा के मालिक बासगीत सिंह रहे है जिनके द्वारा प्रश्नगत प्लॉट एवं अन्य प्लॉट अपने भतीजा उपदेश सिंह, रामदास सिंह, राम आशन सिंह एवं राम एकबाल सिंह को उपहार में देते हुए

दखल-कब्जा कराया गया। विपक्षी का आगे कहना है कि वर्त्तमान आवेदक के पिता-स्व0 अनेश राम द्वारा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष बटाईदारी वाद सं0-80/78-79 दायर किया गया जिसकी सुनवाई के पश्चात दिनांक 28.04.1987 को आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध विपक्षी रामदास सिंह द्वारा न्यायालय, समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष बटाईदारी अपील केस 7/87, दायर किया गया। स्व0 अनेश राम (आवेदक के पिता) को पूर्व से प्रश्नगत प्लॉट में 2 कट्ठा 16 धूर भूमि के संबंध में पर्चा प्राप्त था तथा अपीलवाद सं0 7/87 में दिनांक 23.07.90 को हुए सुलहनामा के अनुसार विपक्षी द्वारा 2 कट्ठा 10 धूर भूमि आवेदक के पिता को दिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत प्लॉट के कुल 5 कट्ठा 6 धूर भूमि आवेदक को प्राप्त हुआ तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम हुआ। उक्त प्लॉट के बचे 6 कट्ठा 5 धूर भूमि रामदास सिंह एवं अन्य विपक्षीगण के पास रहा तथा उक्त भूमि की जमाबंदी सं0-1626 विपक्षी रामदास सिंह के नाम से कायम है। विपक्षी का आगे कथन है कि रामदास सिंह द्वारा प्रश्नगत प्लॉट में से 2 कट्ठा 1 धूर भूमि लालमती देवी, पति-हीरालाल मांझी को बेचा गया। जिससे असंतुष्ट होकर अनेश राम द्वारा बटाईदारी वाद सं0- 35/05, न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर गोपालगंज के समक्ष दायर किया गया। इसी क्रम में सभी तथ्यों को छुपाते हुए आवेदक द्वारा अंचलाधिकारी, बैकुण्ठपुर के समक्ष जमाबंदी सुधार वाद सं0 01/06-07 दायर किया गया जिसे आवेदक के पक्ष में स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष जमाबंदी सुधार अपीलवाद सं0-03/07 दायर किया गया, जिसमें सभी तथ्यों पर विचार कर विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि ग्राम-चमनपुरा, अंचल-बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज अन्तर्गत खाता सं0-172, प्लॉट सं0-3141 रकबा 6 कट्ठा 5 धूर भूमि को लेकर उभय पक्ष के बीच विवाद है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि प्रश्नगत भूमि मूलतः बासगीत सिंह की थी। बासगीत सिहं द्वारा उक्त भूमि अपने भतीजों उपदेश सिंह, रामदास सिंह, राम आशन सिंह एवं राम एकवाल सिंह को उपहार स्वरूप प्रदान की गयी। आवेदक के पिता स्व0 अनेश राम द्वारा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, गोपालगंज के समक्ष बटाईदारी वाद सं0 80/78-79 दायर किया गया जो आवेदक के पिता स्व0 अनेश राम के पक्ष में निष्पादित हुआ। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी रामदास सिंह द्वारा अपर समाहर्त्ता गोपालगंज के समक्ष बटाईदारी पुनरीभिजिन वाद सं0-7/1987 दायर किया गया, जो उभय पक्ष के मध्य संधि पत्र के आलोक में निष्पादित किया गया। इसी बीच प्रस्तुत वाद के आवेदक द्वारा प्रश्नगत प्लॉट सं0 3141 में रकबा 2 कट्ठा 16 धूर का पर्चा प्राप्त किया गया है। अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष बटाईदारी पुनरीभिजिन वाद सं0-07/1987 में संधि पत्र के अनुपालन में वर्त्तमान आवेदक के पिता को उक्त प्लॉट में विपक्षीगण से 2 कट्ठा 10 धूर भूमि प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रश्नगत प्लॉट सं0 3141 के कुल रकबा 11 कट्ठा 11 धूर

भूमि में से 5 कट्ठा 6 धूर भूमि आवेदक तथा शेष 6 कट्ठा 5 धूर भूमि विपक्षीगण को प्राप्त हुआ। कालान्तर में विपक्षी, रामदास सिंह द्वारा उक्त प्लॉट में से कुछ भूमि लालमती देवी, पति हीरालाल मांझी को बेचा गया, जिससे असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, गोपालगंज के समक्ष बटाई दारी वाद सं0-35/05 दायर किया गया, जिसमें सम्प्रति निर्णय नहीं हो पाया है।

6. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे बताया गया कि इसी क्रम में आवेदक द्वारा अंचलाधिकारी, बैकुण्ठपुर के समक्ष जमाबंदी करेक्शन वाद सं0- 01/05-07 दायर किया गया था, जिसमें आवेदक द्वारा विपक्षी के "deed of gift" को फर्जी बताते हुए उसे चुनौती दी गयी थी। जमाबंदी करेक्शन वाद सं0-01/06-07 में अंचलाधिकारी, बैकुण्ठपुर द्वारा आवेदक के पक्ष में फैसला दिया गया, जिसके विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा समाहर्त्ता, गोपालगंज के न्यायालय में जमाबंदी सुधार अपीलवाद सं0-03/07 दायर किया गया, जिसमें अंचलाधिकारी, बैकुण्ठपुर के आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अंचलाधिकारी द्वारा सभी तथ्यों एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दावा पर विचार नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.2013 तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय आदेश का अवलोकन किया।

विपक्षी/उनके विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। अतएवं उनके द्वारा दिनांक 28.11.2014 को प्रस्तुत लिखित पक्ष का अवलोकन किया तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने से निम्नांकित तथा प्रकाश में आते हैः-

(i) बटाईदारी वाद सं0 80/78-79 में दिनांक 28.04.87 को उप समाहर्त्ता, प्रभारी भूमि सुधार, गोपालगंज द्वारा आवेदक को प्रश्नगत भूमि पर बटाईदार स्वीकार किया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि उन्हें उक्त पर कायमी हक प्राप्त है।

(ii) उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष दायर बटाईदारी केस सं0-7/87 को उभय पक्ष के मध्य संधि पत्र के आलोक में निस्तार किए जाने का उल्लेख/साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

(iii) विपक्षी, वासगीत सिंह द्वारा अपने भतीजों को उपहार स्वरूप प्रश्नगत भूमि दिए

जाने को फर्जी बताते हुए आवेदक द्वारा आपत्ति जताया गया है।

(iv) आवेदक द्वारा अपने याचिका में यह दावा किया गया है कि समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष दायर बटाईदारी अपील केस सं0-7/87 में उल्लेखित सुलहनामा की कोई जानकारी उन्हें नहीं है तथा उक्त सुलहनामा फर्जी है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपने याचिका में एवं बहस के दौरान विपक्षी वासगीत सिंह द्वारा अपने भतीजों को "deed of gift" के माध्यम से प्रश्नगत भूमि दिए जाने को फर्जी बताया गया है। साथ ही अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा बटाईदारी पुनरीभिजिन वाद सं0-7/1987 में पारित सुलहनामा आदेश को भी फर्जी बताया गया है।

ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा वांछित अनुतोष राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का प्रतीत होता है। अतएव आवेदक यदि चाहे तो अपने अनुतोष की प्राप्ति हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर सकते है।

तदनुसार, प्रस्तुत जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षणवाद का निस्तर किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।